

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 116/2010/जयपुर.
2. अपील संख्या - 117/2010/जयपुर.
3. अपील संख्या - 118/2010/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बजरंग वायर प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा० लिमि., जयपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन. के. बैद,अपीलार्थी की ओर से.
उप-राजकीय अभिभाषक	
श्री मोती कोटवानी, अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 223, 225 व 224/अपील्स-IV/08-09/ई में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 08.07.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2006-07, 2007-08 व 2009-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।
2. तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण में तथ्य एवं विधि का विवाद यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न तरह के वायर का निर्माण किया जाता है। व्यवसायी द्वारा जो वायर बनाये जाते हैं, वे अन्य विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों को निर्माण करने हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा कुछ मात्रा में

लगातार.....2

एक से अधिक वायरों को गूंथकर (Stranded) भी विक्रय किया जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह आरोप लगाया गया कि जो एक से अधिक वायर strand करके विक्रय किये जा रहे हैं, वे वेट अधिनियम की कर अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या 42 के अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य नहीं है क्योंकि गूंथे हुए वायर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की प्रविष्टि संख्या 14(iv) (xv) की घोषित वस्तु "Wire" में सम्मिलित होना नहीं माना जा सकता अतः उस पर अवशिष्ट कर दर 12/14 प्रतिशत से करारोपण किया गया, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह बताया गया कि वे वायर रोड से भिन्न माप के तार बनाते हैं, जिन्हें अलग—अलग उद्योगों द्वारा उपयोग के अनुसार काम में लिया जाता है तथा उनके द्वारा एल्युमिनियम कंडक्टर बनाने वाले निर्माताओं को एक से अधिक तारों को गूंथकर विक्रय किया जाता है वे कि एक अलग वस्तु के रूप में नहीं जाने जाते हैं, बल्कि यह एक से सात तार आपस में केवल Strength को बढ़ाने के लिये गूंथा जाता है क्योंकि एल्युमिनियम कंडक्टर को अधिक भार वहन करने के लिये कई तारों को एक साथ गूंथकर अधिक भार वहन करने की शक्ति दी जाती है। यह बताया गया कि जो एक से अधिक वायर गूंथे जाते हैं उन्हें पुनः खोला जा सकता है क्योंकि वे आपस में weld किये हुए नहीं होते हैं। मुख्य रूप से यह बताया गया था कि उनके द्वारा सात तारों को एक साथ गूंथकर B.I.S. के मापदण्डों के अनुसार 11 के.वी.ए. की ऊपर की क्षमता के एल्युमिनियम कंडक्टर के निर्माण में एक सिंगल स्टील वायर के स्थान पर सात वायर को काम में लिया जाता है परन्तु वे केवलमात्र वायर ही हैं न कि कोई नई वस्तु निर्मित की जाती है। कथन किया गया था कि इन गूंथे हुए 7 तारों को एल्युमिनियम कंडक्टर के निर्माता अपने निर्माण कार्य में उपयोग में लेते हैं। इस तरह प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इसे आयरन एवं स्टील की प्रविष्टि अनुसार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित वस्तु में सम्मिलित होने से इस पर 4 प्रतिशत की कर दर जो कि वेट कर अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या 42 में अंकित है, के अनुसार कर उद्ग्रहित कर जमा करवाते रहे हैं।

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्कों को पूर्ण विवेचन करने के साथ में यह अवधारित किया गया है कि उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले 7 वायर जिनका अपील स्तर पर भी भौतिक रूप से सत्यापन किया गया था, उन्हें आयरन स्टील में सम्मिलित होना मानते हुए 4 प्रतिशत से कर देय माना गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यविधि होकर विभाग द्वारा ये अपीलें पेश की गयी हैं।

लगातार.....3

4. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत था क्योंकि उनके व्यवहारी द्वारा सात तारों को मिलाकर जो stranded wire बेचा जाता है वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तु Rolled Wire की श्रेणी में नहीं रहता है बल्कि एक स्वतंत्र श्रेणी की अलग वस्तु होने से उक्त प्रविष्टि का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर अपीलीय आदेशों को निरस्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का अनुरोध किया। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का पठन करते हुए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(iv) (xv) में stranded wire शामिल नहीं होने का तर्क देते हुए, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.1974 का हवाला दिया, जिसमें कांटेदार तार, लोहे की कीलों, गूथे हुए तार, वायररोप आदि को भिन्न वस्तु मानकर उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित योग्य नहीं माने जाने का कथन किया। उक्त कथन के साथ अपीलीय आदेशों को अपास्त कर राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि उनके द्वारा सिंगल कोर वायर एवं सात कोर वायर का विक्रय किया जाता है। उन्होंने कथन किया कि एल्युमिनियम कंडक्टर बनाने वाली इकाईयां जो 11 के वी.ए. से अधिक क्षमता की लाईन बनाने के लिये प्रयुक्त कंडक्टर में एक मोटे तार के बजाय अधिक क्षमता के लिये सात वायर को एक साथ गूंथकर उपयोग में लेते हैं, अतः उन्हें सात वायरों को गूंथकर बिक्री किया जाता है, परन्तु वे सातों वायर, वायर की मूल अवस्था में ही रहते हैं, एवं कोई नई वाणिज्यिक वस्तु अस्तित्व में नहीं आती है, बल्कि उन सातों वायरों को वापस खोलकर के सिंगल वायर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, इसलिए उनका उत्पाद केन्द्रीय अधिनियम की उक्त प्रविष्टि संख्या 14 में ही सम्मिलित है, अतः उनके द्वारा 4 प्रतिशत से कर अदा करने में कोई अविधिकता कारित नहीं की है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश में किये गये सम्पूर्ण विवरण का पठन करते हुए इसी समान प्रकृति के माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम वोरा वायर्स (2006) 145 एस.टी.सी. 598 का हवाला देते हुए कथन किया कि इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय किया गया है –

"Wire rods and wires--rolled, drawn, galvanised, aluminised, tinned or coated such as by copper.

5. This question was eventually decided by the Board of Revenue in favour of respondent/assessee/dealer in the case of this very assessee in a case reported in Vora Wires, Indore v. Commissioner of Sales Tax (1992) 14 Cur T.J. 294 on January 14, 1992. This is what the learned Members held in para 6 of the report:

लगातार..... 4

Para 6.-On the question whether stay wire is iron and steel or not, the learned Counsel for the department did not advance any argument. Under Section 14(iv) of the Central Sales Tax Act, 1956 there are sixteen different categories of iron and steel one of which is--

'Wire rods and wires--rolled, drawn, galvanised, aluminised, tinned or coated such as by copper.'

The word 'rolled' means 'spirally wound' or 'bent spirally upon itself into a nearly cylindrical form' or 'a part turned over in a curve', etc. Therefore, 'rolled wire' would mean 'spirally wound wires' or 'wires spirally bent upon itself into nearly cylindrical form' or 'wire turned over in a curve'. In the case of stay wire, more than one wire are lightly twisted or bent in order to add the strength of the wire. The wires are not welded together; they can be unleashed to their original position of single wires. Therefore, stay wire would really be rolled wire which is nothing but wire as classified under Section 14(iv) of the Central Act. The contention of the learned C.A. for the appellant must, therefore, be accepted."

7. विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा जो stranded wire विक्रय किये जा रहे हैं, वे वायर सिंगल कोर के स्थान पर सात वायर को इकट्ठा करके उनको आपस में गूंथकर विक्रय किया जाता है। इससे न तो कोई नई वस्तु, जैसे वायर रोप या वायर नेल्स जैसी कोई वस्तु निर्मित होती है और न ही ऐसे किसी विशिष्ट नाम से विक्रय होती है, बल्कि यह वायर stranded wire के नाम से ही विक्रय होते हैं। ऐसी स्थिति में वे केन्द्रीय अधिनियम की प्रविष्टि संख्या 14 में ही सम्मिलित होते हैं, फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. इस प्रकरण में हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वायर के एक सिंगल वायर एवं सात कोर वायर के सेम्पल प्रस्तुत किये गये। सात कोर वायर के सेम्पल में सात वायरों को एक साथ गूंथकर stranding कर विक्रय किया जाना बताया है, जिसमें इन वायरों को आपस में वेल्ड करके जोड़ा हुआ नहीं है बल्कि वे वायर खोलने पर अलग-अलग हो जाते हैं एवं साथ होने पर stranded के रूप में अधिक क्षमता वहन कर सकते हैं एवं उसकी अधिक strength होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं विधिक निर्णयों का हवाला देते हुए यह निर्णीत किया है कि जो stranded wire प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय किये जाते हैं वे केवलमात्र लोहे के वायर ही हैं न कि कोई विशिष्ट नई वस्तु निर्मित की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये विवेचन से सहमति रखते हुए उसे पुनः उद्धरित करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि उनके द्वारा अपीलार्थी एवं राजस्व के प्रत्येक कथन एवं तर्क पर उचित

व्याख्या कर न्यायिक एवं विधिक निर्णय पारित किया है कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया stranded wire, iron steel की श्रेणी में ही शुमार होता है क्योंकि एक से अधिक सात वायर को वायर के रूप में ही विक्रय किया गया है, वह अलग से कोई वस्तु न होकर rolled wire ही है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में मध्यप्रदेश रेवेन्यू बोर्ड के दिये गये निर्णय की पुष्टि की गयी है। रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय का अंश ऊपर वर्णित पैरा 6 में उद्धरित किया गया है, जिसका अंश निम्न प्रकार है :—

"The word 'rolled' means 'spirally wound' or 'bent spirally upon itself into a nearly cylindrical form' or 'a part turned over in a curve', etc. Therefore, 'rolled wire' would mean 'spirally wound wires' or 'wires spirally bent upon itself into nearly cylindrical form' or 'wire turned over in a curve'. In the case of stay wire, more than one wire are lightly twisted or bent in order to add the strength of the wire. The wires are not welded together; they can be unleashed to their original position of single wires. Therefore, stay wire would really be rolled wire which is nothing but wire as classified under Section 14(iv) of the Central Act. The contention of the learned C.A. for the appellant must, therefore, be accepted."

10. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स आर.के. उद्योग (2003) 31 आर.टी.जे.एस. 34 का हवाला देते हुए अपने कथन पर बल दिया है वह उचित नहीं है क्योंकि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.पी.सी. वायर, एम.ई.एस. वायर एवं वायर स्ट्रिप को पृथक—पृथक वाणिज्यिक वस्तु होना निर्णीत किया गया था, जिसमें इन वस्तुओं को एवं वायर रोप को अलग—अलग होना बताया गया था जो एल्युमिनियम एवं कॉपर की वायर रोप एवं उससे निर्मित वायर एवं वायर स्ट्रिप से सम्बन्धित था परन्तु यह प्रकरण आयरन एवं स्टील से सम्बन्धित है जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के अधीन घोषित वस्तु है, जिसका विवरण इस तरह से किया हुआ है :—

14. Certain goods to be of special importance in inter-State trade or commerce

It is hereby declared that the following goods are of special importance in inter-State trade or commerce:-

(iv) iron and steel, that is to say,-

- (i) pig iron, sponge iron and cast iron including ingot the moulds, bottom plates, iron scrap, cast iron scrap, runner scrap and iron skull scrap ;
- (ii) steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes) ;
- (iii) skelp bars, tin bars, sheet bars, hoe-bars and sleeper bars ;
- (iv) steel bars (rounds, rods, squares, flats, octagons and hexagons, lain and ribbed or twisted, in coil form as well as straight lengths) ;

लगातार.....6

- (v) steel structurals (angles, joists, channels, tees, sheet piling sections, Z sections or any other rolled sections) ;
- (vi) sheets, hoops, strips and skelp both black and galvanised, hot and cold rolled, plain and corrugated, in all qualities, in straight lengths and in coil form, as rolled and in rivetted condition ;
- (vii) plates both plain and chequered in all qualities ;
- (viii) discs, rings, forgings and steel castings ;
- (ix) tool, alloy and special steels of any of the above categories ;
- (x) steel melting scrap in all forms including steel skull, turnings and borings ;
- (xi) steel tubes both welded and seamless, of all diameters and lengths, including tube fittings ;
- (xii) tin-plates, both hot dipped and electrolytic and tin free plates ;
- (xiii) fish plate bars, bearing plate bars, crossing sleeper bars, fish plates, bearing plates, crossing sleepers and pressed steel sleepers, rails-heavy and light crane rails ;
- (xiv) wheels, tyres, axles and wheels sets ;
- (xv) wire rods and wires-rolled, drawn, galvanised, aluminised, tinned or coated such as by copper ;
- (xvi) defective, rejects, cuttings or end pieces of any of the above categories ;

11. हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान जो सिंगल वायर व stranded सात वायर का नमूना पेश किया है उससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपयोग के अनुसार सात वायरों को केवल गूंथकर विक्रय किया जाता है न कि किसी वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण करके उसका विक्रय किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सात वायरों को एक साथ उपयोग करने से उसकी क्षमता बढ़ जाती है परन्तु यह वायर पुनः पृथक भी किये जाते हैं ऐसी स्थिति में उक्त धारा 14(iv)(xv) में सम्मिलित होने के बावजूद भी इन्हें rolled wire की श्रेणी में नहीं माना जाना अनुचित एवं अविधिक है अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिन्दु एवं न्यायिक निर्णय के साथ जो विस्तृत आदेश पारित किया है उसकी पुष्टि की जाती है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य